**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया**
**पीठासीन अधिकारीः— रमेश देव आर.ए.एस.**
**प्रकरण संख्याः— 267/2023**
**वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 53 आरटीए**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. अमनदीप कौर पुत्री पाल सिह पत्नी मोहन सिह जाति जटसिख निवासी संगरिया।
2. कुलविन्द कौर पुत्री पाल सिह पत्नी गुरसेवक सिह जाति जटसिख निवासी संगरिया।
3. गुरमीत कौर पुत्री पालसिह पत्नी ऋषिकेश जाति जटसिख नि.जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया हाल आबाद संगरिया।

—वादीगण

**बनाम्**

1. परमजीत कौर पत्नी श्री पाल सिह जाति जटसिख निवासी जण्डवालासिखान तहसील संगरिया।

—प्रतिवादीगण

आदेश दिनांक :— 08.06.2023

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि वादीगण व प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण के पिता पाल सिह पुत्र श्री जोगेन्द्र सही के नाम सतहसील संगरि`या के चक 12 एएमपी के ज.स. 2071—74 के खाता संख्या 4/49 में दर्ज कुल 4.175 है. मय गै.मु. नहरी कृषि भूमि मे से 886/4175 हिस्सा यानि 0.886 है. नहरी कृषि भूमि मे से वादीगण का 3/4 हिस्सा बहिब यानि प्रत्येक वादीगण 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चूंकि हमारे पिता पाल सिह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिह का देहान्त हो चुका है जिनके देहान्त उपरान्त उनके जायज एवं काननूी वारिसान है उक्त कृषि भूमि हम वादीगण को हमारे पिता के देहान्त उपरान्त विरासतन प्राप्त हुई है। जिसके हम वादीगण मालिक एवं काबिज है। हम वादीगण अपने अपने विरासतन हिस्से की भूमि स्वंय नही रखना चाहते तथा अपने हिस्से की भूमि तहसील संगरिया के चक 12 एएमपी के ज.स. 2071—2074 के खाता संख्या 4/49 में दर्ज कुल 4.175 है. मय गै.मु. नहरी कृषि भूमि मे से 886/4175 हिस्सा यानि 0.886 है. नहरी कृषि भूमि मे जिस कदर जो भी हक व हिस्सा हम वादीगण का विरासतन बनता है उस समस्त हक व हिस्सा का परित्याग हमारी माता बहक परमजीतकौर पत्नी श्री पाल सिह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के पक्ष में होता है अर्थात अपने अपने विरास्तन हक का परित्याग करते है व लिखा देते है कि हमारे द्वारा हुए दस्वरदार उक्त रकवे का दाखिल खारिज हमारी गैर हाजिरी में उक्त वर्णित पक्ष के नमा से नामान्तकरण संबंधित विभागों में कर दिया जावे तो हमे कोई एतराज नही होगा। हमारे द्वारा हुए दस्तवरदार रकवा बाबत भविष्य में हम या हमारा कोई वारिसा शहिम या शारिक बनकर किसी प्रकार का वाद करे तो वह हर माननीय अदालत में झूठा व शून्य माना जावेगा।

अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसील संगरिया के चक 12 एएमपी के ज.स. 2071–2074 के खाता संख्या 4/49 में दर्ज कुल 4.175 है. मय गै.मु. नहरी कृषि भूमि मे से 886/4175 हिस्सा यानि 0.886 है. नहरी कृषि भूमि मे जिस कदर जो भी हक व हिस्सा हम वादीगण का विरासतन बनता है उस समस्त हक व हिस्सा का परित्याग हमारी माता बहक परमजीतकौर पतनी श्री पाल सिह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के नाम दर्ज करने का निवेदन किया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्वंय उपस्थित होकर आदेशिका पर अपने–अपने हस्ताक्षर कर वाद को स्वीकार किया। साथ ही पाल सिह का मृत्यु प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत जण्डवाला सिखान से जारी की फोटो प्रति तथा अपने आईडी की फोटो प्रति प्रस्तुत किया। जो शामिल पत्रावली है।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 परमजीतकौर के पुत्र व पुत्री वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार मृतक पालसिह पुत्र जोगेन्द्र सिह के नाम है जो ग्राम पंचायत जण्डवाला सिखान से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र से पैतृक साबित है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने हाजिर आकर सहमति देते हुए आदेशिका पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुश्टि हो रही है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है किः– मृतक पालसिह पुत्र जोगेन्द्र सिह 1 के नाम दर्ज चक नं. 12 ए.एम.पी. खाता सं. 4/49 जं. सं. 2071–2076 में 0.886 है. भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 परमजीत कौर पत्नी पाल सिह को खातेदार काश्तकार घोशित किया जाता है उक्त खाते से मृतक पाल सिह का नाम कलमजन किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 08/06/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 267/2023

1. अमनदीप कौर पुत्री पाल सिह पत्नी मोहन सिह जाति जटसिख निवासी संगरिया।
2. कुलविन्द कौर पुत्री पाल सिह पत्नी गुरसेवक सिह जाति जटसिख निवासी संगरिया।
3. गुरमीत कौर पुत्री पालसिह पत्नी ऋषिकेश जाति जटसिख नि.जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया हाल आबाद संगरिया।

–वादीगण

**बनाम्**

1. परमजीत कौर पत्नी श्री पाल सिह जाति जटसिख निवासी जण्डवालासिखान तहसील संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री .....................वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री .................. वकील प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि मृतक पालसिह पुत्र जोगेन्द्र सिह 1 के नाम दर्ज चक नं. 12 ए.एम.पी. खाता सं. 4/49 जं.सं. 2071–2076 में 0.886 है. भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 परमजीत कौर पत्नी पाल सिह को खातेदार काश्तकार घोशित किया जाता है उक्त खाते से मृतक पाल सिह का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....×......नल.....×.......मुब्लिक.....×.....निल.......×........बाबत्.....×........निल......×......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक....×......अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 08/06/2023 को जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया